

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला उमरिया (म0प्र0)

कमांक ७१ /C.J.M./2015,

उमरिया दिनांक 30.12.2015

नीलामी सूचना - "प्रकाशनार्थ"

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया के निम्नानुसार वाहन, जहां है जिस स्थिति में हैं, के विक्रय हेतु खुले रूप से नीलामी द्वारा विक्रय हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	कार्यालय का नाम	वाहन नम्बर	माडल वर्ष	वाहन का प्रकार	निर्धारित आफसेट प्राईज
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया	MP02-6278	2002	एमबेस्डर	40,000 / -

उपरोक्त वाहन की नीलामी हेतु शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु इस कार्यालय में दिनांक 20.02.2016 को दोपहर 2.00 बजे तक अमानत राशि 1000/- जमा कर बोली में भाग ले सकते हैं। दिनांक 20.02.2016 को ही सायं 3.00 बजे से बोली प्रारम्भ की जावेगी।

(माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित)

सही / -

(जे0एस0 श्रीवास्तव)

मुख्य न्यायाधिकारी, मजिस्ट्रेट,
उमरिया, जिला उमरिया (म0प्र0)

पृ0क0 / 2015,

उमरिया दिनांक 30.12.2015

प्रतिलिपि:-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उमरिया (म0प्र0)
3. आयुक्त जन सम्पर्क, संचालनालय विज्ञापन शाखा बाधगंगा रोड़ भोपाल, की ओर निःशुल्क प्रचार / प्रसार हेतु (एक अतिरिक्त प्रति सहित) प्रेषित।
4. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जिला उमरिया की ओर प्रचार / प्रसार हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला नाजिर, जिला न्यायालय उमरिया की ओर नीलामी के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे0एस0 श्रीवास्तव)

मुख्य न्यायाधिकारी, मजिस्ट्रेट,
उमरिया, जिला उमरिया (म0प्र0)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला उमरिया (म0प्र0)

क्रमांक 9 J/C.J.M./2015

उमरिया दिनांक 30.12.2015

—: नीलामी सूचना :-

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया के निम्नानुसार वाहन, जहां है जिस स्थिति में हैं के विक्रय हेतु खुले रूप से नीलामी द्वारा विक्रय हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	कार्यालय का नाम	वाहन का क्र0	माडल वर्ष	वाहन का प्रकार	निर्धारित आफसेट प्राईज
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया	MP02-6278	2002	एमबेस्डर	40,000/-

नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी शर्तें निम्नानुसार होगी

1. वाहन जहाँ है जिस हालत में है लिया जावेगा।
2. बोलीदार को वाहन की धरोहर राशि रूपये 1000/- (एक हजार रूपये) का बैंक ड्रॉफ्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया के नाम से नीलामी / बोली के पूर्व उक्त वाहन के लिए प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जिस व्यक्ति के द्वारा धरोहर राशि बतौर बैंक ड्रॉफ्ट जमा किया जावेगा वहीं व्यक्ति बोली में भाग ले सकेगा। बोली स्वीकृति नहीं होने की दशा में धरोहर / अमानत राशि वापसी योग्य होगी।
3. वाहन की स्थिति का जायजा आवेदक लेना चाहता है तो कार्यालय प्रमुख से जानकारी प्राप्त कर अवलोकन किया जा सकता है, इच्छुक व्यक्ति कार्यालय समय में वाहन का अवलोकन कर सकते हैं।
4. इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु इस कार्यालय में दिनांक 20.02.2016 को दोपहर 2.00 बजे तक, अमानत राशि जमा कर बोली में भाग ले सकते हैं। दिनांक 20.02.2016 को ही सायं 03.00 बजे से बोली प्रारम्भ की जावेगी।
5. जिस व्यक्ति की अधिकतम बोली स्वीकार की जावेगी, उसे नीलामी के दिन तत्काल 25 प्रतिशत एवं शेष राशि 3 दिवस के अंदर कार्यालय प्रमुख के पास नगद जमा करनी होगी। तत्पश्चात ही वाहन की डिलेवरी दी जावेगी।
6. बोलीदार द्वारा लगाई गई बोली को कार्यालय प्रमुख द्वारा किसी भी दशा में स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
7. बोली स्वीकृति होने के पश्चात यदि बोलीदार नियत समय में वाहन डिलेवरी नहीं लेता है तो अमानत राशि वापस नहीं की जावेगी तथा राशि राजसात कर ली जावेगी।

सही / -

(जे0एस0 श्रीवास्तव)

मुख्य न्यायाधिकारी जस्ट्रेट
उमरिया जिला उमरिया (म0प्र0)
उमरिया दिनांक 30.12.2015

पृ0क्र0 /C.J.M./2015

प्रतिलिपि:-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उमरिया (म0प्र0)
3. आयुक्त जन सम्पर्क, संचालनालय विज्ञापन शाखा बाधगंगा रोड भोपाल, की ओर निःशुल्क प्रचार / प्रसार हेतु (एक अतिरिक्त प्रति सहित) प्रेषित।
4. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जिला उमरिया की ओर प्रचार / प्रसार हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला नाजिर, जिला न्यायालय उमरिया की ओर नीलामी के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जे0एस0 श्रीवास्तव)

मुख्य न्यायाधिकारी जस्ट्रेट
उमरिया जिला उमरिया (म0प्र0)